

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कर्मोंक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-8/विधि/काउन्सलिंग/2016

दिनांक -02/03/2016

—: सूचना :-

(केवल विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित कार्मिकों हेतु)

वर्ष 2015-16 हेतु पूर्व में आयोजित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की विभागीय पदोन्नति समिति के पुनरावलोकन उपरान्त रिब्यू में चयनित पदोन्नत एवं पृथक सूची में चयनित कार्मिकों की सूची पूर्व में भी विभागीय साईट पर अपलोड की गई थी।

उक्त चयनित व्याख्याताओं के पदस्थापन हेतु काउन्सलिंग की जानी है इस हेतु निम्नांकित विशेष वर्ग की जानकारी अपेक्षित हैं।

विशेष वर्ग:-

1. 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति
2. विधवा एवं परित्यक्ता महिला
3. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति
4. एकल महिला अभ्यर्थी
5. भूतपूर्व सैनिक

अतः चयनित कार्मिकों की सूची अपलोड करवाई जाकर लेख है कि उक्त सूची में चयनित कार्मिक यदि उपर्युक्त विशेष वर्ग में है तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना दिनांक:- 06.02.2016 तक ईमेल so.csection@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें। उपरोक्त उल्लेखित विशेषवर्ग के चयनित कार्मिक ही संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवायेगें एवं संबंधित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेगें।

(बी0एल0स्वर्णकार)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

(केवल विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित कार्मिकों हेतु)

—: सूचना प्रारूप :—

01. कार्मिक का नाम मय पद:—
02. कार्मिक का पदस्थापन:—
03. पदोन्नति पद :— व्याख्याता – विषय सहित
04. पदोन्नति सूची:— रिव्यू / रिव्यू एण्ड रिविजन(पृथक सूची)
05. वरिष्ठता क्रमोंक:—
06. विशेष वर्ग जिससे संबंधित हैं चिन्हित करें:—

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति | हों / नहीं |
| 2. विधवा एवं परित्यक्ता महिला | हों / नहीं |
| 3. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति | हों / नहीं |
| 4. एकल महिला अभ्यर्थी | हों / नहीं |
| 5. भूतपूर्व सैनिक | हों / नहीं |

संलग्न:— प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर
(नाम मय पदस्थापन)